न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 62/2025
जीसीएमएस नं. :— 2025/92

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
श्री नरेन्द्र कुमार देवासी		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :—21/04/2025
श्री अभिषेक कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

"आदेश" दिनांक : 25/11/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की संयुक्त खोतेदारी कब्जासुद जमीन रामड़ावासकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में खाता संख्या 83 में खसरा संख्या 1281 रकबा 2.1411 किस्म बारानी एवं खसरा संख्या 1282 रकबा .4.5372 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल खसरान 02 कुल रकबा 6.6783 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/4 वा हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संम्बोधित किया जायेगा। वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर प्रार्थी अपने 1/4 वा हिस्सा पर निरन्तर रूप से शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आरामी अविमाजित आराजी है जिसका कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही है। प्रार्थी संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का पैदाइसी नाम नरेन्द्र कुमार देवासी पुत्र श्रीराम है, प्रार्थी को स्व. भंवरलाल जी के देहान्त पश्चात उनकी पत्नी समूड़ी ने रिवाज अनुसार प्रार्थी को गोद लेने की रस्म अदा कर अपनी गोदी में बिठाकर साफा पहनाकर गोद लिया। प्रार्थी को बोलचाल भाषा में नारायणराम नाम से जाना पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भवरलाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज नरेन्द्र कुमार देवासी के नाम से है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी अपना नाम दुरुस्त करवाकर के राजस्व रेकार्ड मे नारायणराम दत्तक पुत्र भंवरलाल के स्थान पर पर नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र श्री भँवरलाल दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया। इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती न्यायालय से ही करवाने को कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना—पत्र रेकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्राकृतिक पिता का नाम श्रीराम है तथा भंवरलाल के देहान्त पश्चात् प्रार्थी की जात रिति रिवाज के अनुसार गिव एण्ड टेक की रस्म अदा कर गोदीमाता समूडी ने गोद ले लिया लेकिन प्रार्थी को बोलचाल भाषा में नारायणराम नाम से पुकारने की वजह से राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भॅवरलाल दर्ज/इन्द्राज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार देवासी पुत्र श्रीराम है इसलिए गोद लेने के पश्चात प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र भॅवरलाल दर्ज करवाना चाहिए था लेकिन सेवन वे त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं रहीं। प्रार्थी ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 28/03/2025 को जमाबन्दी नकल, प्राप्त की जिसमे प्रार्थी का नाम नरेन्द्र कुमार देवासी के स्थान पर नारायणराम पुत्र भंवरलाल दर्ज होने से दुरूस्त करवाने हेतु कहा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से अपना नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भॅवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र भॅवरलाल दुरुस्त करने हेतु कहा तब अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती दुरूस्त माननीय न्यायालय से ही करवाने को कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना-पत्र दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे नारायणराम दत्तक पुत्र भॅवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र भॅवरलाल दुरूस्त कर इन्द्राज का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम रामड़ावासकलां के सर्वे आधार सम्वत् 2081 के खाता संख्या 83 में खसरा संख्या 1281 एवं खसरा संख्या 1282 में प्रार्थी का नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र भंवरलाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रामड़ावासकलां के सर्वे आधार सम्वत् 2081 के खाता संख्या 83 में खसरा संख्या 1281 एवं खसरा संख्या 1282 में प्रार्थी का नाम नारायणराम दत्तक पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार देवासी दत्तक पुत्र भंवरलाल दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 25/11/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर